



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271100
CG-DL-E-20032026-271100

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 61]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

मामला संख्या: -एडीडी(ओआई)-09/2026

विषय: मिश्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा.सं. 06/10/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है), ने मिश्र (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर के सब्सिडीकरण का आरोप लगाकर पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरूआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर" है। संबद्ध सामानों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। जिप्सम

रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएएसओ4.2एच2ओ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म करने पर स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बनने के लिए उसकी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है जोकि रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट(सीएएसओ4.05 एच2ओ) के रूप में जाना जाता है।

3. जिप्सम रॉक को जिप्सम प्लास्टर में बदलने के लिए गर्मी देने की प्रक्रिया को कैल्सीनेशन कहा जाता है जिससे कैल्सीनड जिप्सम पाउडर या प्लास्टर शब्द आता है। कैल्सीनेशन एक बैच या निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से जिप्सम को प्लास्टर या स्टुको में डिहाइड्रेट करने की परिपाटी है जिसमें क्रिस्टलीय पानी को वाष्पित करने के लिए जिप्सम को नियंत्रक तरीके से गर्म करना शामिल है। क्रिस्टलीय बाउंड पानी को 120-180 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियंत्रित हीटिंग प्रक्रिया में हटाया जाता है।

ख. समान वस्तु

4. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए नियमावली के तहत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' माने जा रहे हैं।

ग. संबद्ध देश

5. वर्तमान जांच मिस्र से विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के संबंध में है।

घ. जांच की अवधि

6. वर्तमान आवेदन-पत्र के लिए जांच की अवधि अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 (12 माह) प्रस्तावित है। क्षति विश्लेषण 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि के लिए किया जा सकता है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

7. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

8. यह आवेदन-पत्र मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में कैल्सीनड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर का प्रमुख उत्पादक (55%) है। मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. ने यह भी अनुरोध किया कि वर्तमान मामले में संबद्ध सामानों के उत्पादक देश भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों से युक्त बिखने हुए उद्योग से हैं।

9. आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उद्योग की प्रकृति और आकार के कारण प्रत्येक अलग अलग उत्पादक से उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन का कोई प्रकाशित रिकॉर्ड नहीं है और ऐसी सूचना किसी भी सरकारी या बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा संकलित नहीं की गई है, तथापि, उनकी सूचना के अनुसार, वे भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता या उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग माना है, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**क. सामान्य मूल्य**

10. आवेदक ने दावा किया है कि मिस्र में तुलनीय घरेलू कीमतें ऐसी सूचना की गोपनीय प्रकृति के कारण उपलब्ध नहीं थीं; अतः, सामान्य मूल्य उपयुक्त रूप से उपलब्ध सूचना, अनुमानित विनिर्माण एवं परिवर्तन लागतों का बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों और उपयुक्त लाभ उचित रूप से जोड़कर उनका निर्माण करके वैकल्पिक आधार पर निर्धारित किया गया था।
11. तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन से सामान्य मूल्य पर विचार किया है जिसका निर्माण भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय, और संबद्ध देश के लिए लाभ को जोड़कर किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

12. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, , सार-संभाल प्रभार, बंदरगाह खर्च, अंतर्देशीय प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

घ. क्षति का आरोप और कारणात्मक संपर्क

14. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप में बढ़ी है। आयात के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का साक्ष्य है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
15. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाते हैं।

ज. जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर और घरेलू उद्योग में पाटन और परिणामी क्षति सिद्ध करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करके, एतद्वारा तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार घरेलू उद्योग में तथाकथित पाटन और परिणामी वास्तविक क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

झ. प्रक्रिया

17. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तदनुसूची मामला आईडी एडी/ओई/010/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना

चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी संगत सूचना दायर कर सकें। यह सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित किए गए अनुसार स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
22. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी-एडी/ओआई/010/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
25. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 23 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
26. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
27. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।
30. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।
33. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।
34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
36. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 8 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2026

Case No. ADD (OI) – 09/2026

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Calcined Gypsum Powder” Originating in or exported from Egypt.

1. **F. No. 06/10/2026 -DGTR:** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-dumping Duty Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Saint Gobain India Pvt Ltd., (hereinafter referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of Anti-dumping duty investigation by alleging subsidization of Calcined Gypsum Powder, originating in or exported from Egypt (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

A. Product Under Consideration

2. The product under consideration in the present application is “Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster”. The subject goods are also known as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder”. Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate (CaSO₄. 2 H₂O), which when heated in controlled way it loses 1.5 water (H₂O) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically know as Calcium Sulphate Hemihydrate (CaSO₄. 0.5 H₂O).
3. The process of giving heat to convert gypsum rock to gypsum plaster is called calcination from which the word calcined gypsum powder or plaster comes. Calcination is the practice of dehydrating gypsum into plaster or stucco through a batch or continuous process which includes heating the gypsum in a controlled way to evaporate crystalline water. Crystalline bound water is removed in a controlled heating process at 120-180 degree centigrade.

B. Like Article

4. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Subject Country

5. The present investigation is in respect of alleged dumping of the PUC from Egypt.

D. Period of Investigation

6. The period of investigation for the present application is proposed from October 2024 to September 2025 (12 months). The injury analysis may be done for the period 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the POI.

E. Domestic Industry and Standing

7. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

“‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”

8. The application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt Ltd. (SGIPL), who is the major producer (55%) of the Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster in India. M/s Saint Gobain India Pvt Ltd. further submitted that in the present case producers of the subject goods are from fragmented industry consisting of a large number of small producers across the country.

9. The Applicant has further stated that, it is not practically possible to collect data relating to production from each individual producer, due to nature and size of industry. It is further submitted that there are no published records of the gross domestic production of the product in India and such information is also not collated by any governmental or market research agency however, as per their information, they account for major producers of the subject goods in India. The petitioner has also certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party. Further, they are also not related to any importer of the subject goods in India. Therefore, the Authority has considered the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**a. Normal Value**

10. The applicant has claimed that comparable domestic prices in Egypt were not available due to the confidential nature of such information; therefore, the normal value was determined on an alternative basis by constructing the cost of production using reasonably available information, estimated manufacturing and conversion costs, with appropriate additions for selling, general and administrative expenses and reasonable profit.
11. However, the Authority for the purpose of initiation has considered the normal value which has been constructed on the basis of the cost of production in India, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits for the subject country.

b. Export Price

12. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port expenses, inland charges, commission, credit cost and bank charges.

c. Dumping Margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. Allegation of injury and causal Link

14. The applicant has provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as relative terms. There is evidence of price suppression and depression due to imports. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.

15. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from Egypt, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. Initiation of the Investigation

16. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

17. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of Information

18. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/010/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
19. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
20. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
22. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID- AD/OI/010/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
25. The 15 day period to file comments on the scope of PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 23 above of this initiation Notification.
26. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the AD Rules.
27. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 23 above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of Information on Confidential Basis

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of public file.

38. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. Non-Cooperation

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority